झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

पत्र सं0-कार्य0का0सू0-05/2021- 1712 ..../वि0स0।

प्रेषक,

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

सेवा में,

मानवीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान सभा,राँची।
माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण, झारखण्ड सरकार,राँची।

राँची,दिनांक- 13/08/2021

विषय :- नॉवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के मद्देनजर विधान-सभा के आगामी सत्र में जरूरी एहतियात बरतने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

निदेशानुसार सूचित करना है कि पंचम् झारखण्ड विधान सभा का आगामी षष्टम् (मानसून) सत्र जो दिनांक-03सितम्बर,2021 से आरम्भ हो रहा है, नॉवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को देखते हुए सत्र के दौरान संक्रमण से सुरक्षा के दृष्टिकोण से निम्नांकित दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1)- सभी माननीय सदस्यों सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों से यह आग्रह है कि वे केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल में जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे।

(2)- सत्र में भाग लेनेवाले सभी माननीय सदस्यों सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना कोविड जाँच सत्र आरम्भ होने की तिथि से 72 घंटे पूर्व करा लेने अथवा कोविड टीका लेना सुनिश्चित करेंगे ;

(3)- सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि विधान-सभा के प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजेसन की व्यवस्था की गई है; जिसका प्रयोग कर ही सभा वेश्म् में प्रवेश करेंगे।

(4)- सत्रावधि में केवल अपने निजी सहायक को ही विधान-सभा के आन्तरिक परिसर में लेकर आयेंगे;

(5)- सामाजिक दूरी बनाये रखने में पर्याप्त सहयोग देंगे;

(6)- अगर कोई माननीय सदस्य कोरोना सक्रमित हों अथवा कोरोना संदिग्ध हों तो कृपया वे विधान सभा नहीं आयेंगे और झारखण्ड विधान सभा कार्य संचालन नियमावली के नियमों के आलोक में किन्ही अन्य माननीय सदस्य को अपने विधायी कार्यो के लिए प्राधिकृत करते हुए इसकी सूचना सभा सचिवालय को 24 घंटे पूर्व दे देंगे ;

(7)- सदन के अन्दर कार्य करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी भी 72 घंटे पूर्व कोरोना जांच करा लेंगे अथवा कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र के साथ विधान सभा परिसर आयेंगे ;

(8)-सभा परिसर में वाह्य व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा ;

(9)- सभी माननीय सदस्यों सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा पत्रकार बन्धुओं से आग्रह है कि 72 घंटे पूर्व कोरोना जांच प्रमाण अथवा कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र के साथ विधान सभा परिसर आयेंगे।

कृ0पृ030

अतएव आपसे अनुरोध है कि उक्त दिशा–निर्देशों के अनुपालन में अपेक्षित सहयोग करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

3/8/21

(महेन्द्र प्रसाद)
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–कार्य0का0सू0–05/2021–......1712......./वि0स0,राँची,दिनांक–13/08/2021

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार,सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/अपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार राँची /असैनिक शल्य चिकित्सक सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/अनुरोध है कि पत्रांकित मामले में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निमित्त माननीय सदस्यों/मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों के कोविड जाँच सहित सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की कोविड जाँच की दिशा में समुचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय। यह भी अनुरोध है कि सत्र के दौरान विधान–सभा में प्रतिनियुक्त किए जानेवाले राज्य सरकार के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों/दण्डाधिकारियों/पुलिस कर्मियों की कोविड जाँच भी सुनिश्चित कराते हुए उन्हें मास्क एवं सेनेटाइजेसन का उपयोग करना सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही कोरोना जांच प्रमाण अथवा कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र के साथ विधान सभा परिसर में प्रवेश करेंगे।

3/8/21

(महेन्द्र प्रसाद)
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–कार्य0का0सू0–05/2021–......1712......./वि0स0,राँची,दिनांक–13/08/2021

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव स्थापन शाखा/कार्मिक शाखा/अवधायक शाखा/ विधायी शाखा/सूचना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव स्थापन शाखा से अनुरोध है कि अपने स्तर से भी सत्रारम्भ के 72 घंटे पूर्व सत्र से संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों की कोविड जाँच सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही दर्शक दीर्घाओं को बन्द रखने की सूचना भी अपने स्तर से देंगे। सभा वेश्म् में फेस मास्क के बिना किसी भी पदाधिकारी का प्रवेश वर्जित होगा।

13/8/2021

(रामनिवास दास)
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।
कृ0पृ0उ0

ज्ञाप संख्या-कार्य0का0सू0-05/2021-......1712......./वि0स0,राँची,दिनांक-13/08/2021

प्रतिलिपि :- सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि सत्रावधि में विधान-सभा परिसर में समाचार संकलन के लिए आनेवाले पत्रकारों की कोविड जाँच से संबंधित रिपोर्ट अथवा कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र देखकर ही प्रवेश पत्रक जारी करेंगे। साथ ही उन्हे मास्क के साथ ही परिसर में रहने का अनुरोध भी करेंगे।

संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-कार्य0का0सू0-05/2021-......1712....../वि0स0,राँची,दिनांक-13/08/2021

प्रतिलिपि :-उपायुक्त राँची/नगर आयुक्त,नगर निगम,राँची कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए सभा सचिवालय परिसर की साफ सफाई एवं सेनेटाइजेसन का प्रबंधन करेंगे।

संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।